राजस्व वाद 256/2021
जीसीएमएस नंबर–
श्रवणराम वगैरह बनाम रूकमा वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :256/2021

वादीगण–

1. श्रवणराम पुत्र भोलाराम
2. जीतुराम पुत्र भोलाराम

जातियान–जाट निवासीगण– रांतगा तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रूकमा पत्नी जीवणराम
2. रामी पुत्री भोलाराम
3. सन्तोष पुत्री भोलाराम
4. मुकेश पुत्र जीवणराम
5. भंवरी पुत्री भोलाराम
6. शारदा पुत्री जीवणराम

जातियान–जाट निवासीगण– रांतगा तहसील–जायल, जिला–नागौर।

7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 24/11/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा रांतगा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 576 रकबा 3.1646 हैक्टैयर, खसरा नंबर 578 रकबा 1.4973 हैक्टेयर, खसरा नंबर 590 रकबा 1.0926 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 की आखातीज को वाद के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रातंगा का खेत खसरा नंबर 576 रकबा 3.1646 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादी संख्या 2 जीतुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रांतगा का खेत खसरा नंबर 590 रकबा 1.0926 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा के हक बंट कब्जा काश्त

24/11/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

में मौजा रांतगा का खेत खसरा नंबर 578 रकबा 1.4973 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत धारणा में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह श्रवणराम पुत्र भोलाराम तथा नकल जमाबन्दी ग्राम रातंगा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 532 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा रांतगा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 576 वादी श्रवणराम, खसरा नंबर 590 वादी जीतुराम, खसरा नंबर 578 प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा के हक बंट में रखकार वाद पत्र में इस्तदुआ चाही गई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के हक बंट में मुतदाविया विवादग्रस्त खसरान् में से कोई भूमि नहीं रखी गई है , ना ही अन्य जगह भूमि होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का नियमुनसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा रांतगा के खेत खसरा नंबर 576, 590, 578 के सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा मुताबिक वाद पत्र इस्तदुआ एवं सहमति राजीनामा अनुसार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रांतगा के खेत खसरा नंबर 576, 590, 578 के सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा मुताबिक वाद पत्र इस्तदुआ एवं सहमति राजीनामा अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है। तथा मुताबिक राजीनामा निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 256/2021
जीसीएमएस नंबर–
श्रवणराम वगैरह बनाम् रूकमा वगैरह

1. वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रातंगा का खेत खसरा नंबर 576 रकबा 3.1646 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

2. वादी संख्या 2 जीतुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रांतगा का खेत खसरा नंबर 590 रकबा 1.0926 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रांतगा का खेत खसरा नंबर 578 रकबा 1.4973 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

4. **प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का नियमुनसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निर्णय आज दिनांक 24/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 256/2021
जीसीएमएस नंबर–
श्रवणराम वगैरह बनाम् रूकमा वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :256/2021

वादीगण–

1. श्रवणराम पुत्र भोलाराम
2. जीतुराम पुत्र भोलाराम
   जातियान–जाट निवासीगण– रांतगा तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रूकमा पत्नी जीवणराम
2. रामी पुत्री भोलाराम
3. सन्तोष पुत्री भोलाराम
4. मुकेश पुत्र जीवणराम
5. भंवरी पुत्री भोलाराम
6. शारदा पुत्री जीवणराम
   जातियान–जाट निवासीगण– रांतगा तहसील–जायल, जिला–नागौर।
7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

सहायक कलक्टर * जायल (एस.डी.ओ.)

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्द राम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रांतगा के खेत खसरा नंबर 576, 590, 578 के सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा मुताबिक वाद पत्र इस्तदुआ एवं सहमति राजीनामा अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है। तथा मुताबिक राजीनामा निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रातंगा का खेत खसरा नंबर 576 रकबा 3.1646 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

24/11/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. वादी संख्या 2 जीतुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रांतगा का खेत खसरा नंबर 590 रकबा 1.0926 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रांतगा का खेत खसरा नंबर 578 रकबा 1.4973 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
4. **प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का नियमुनसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निर्णय आज दिनांक 24/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

24/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner